"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 जुलाई 2023 — आषाढ़ 15, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक आर 363/2023/7–1. – छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वृक्ष कटाई के नियम, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"5–क. किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना के लिए, भूमि के अर्जन करने अथवा भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने की दशा में, अपेक्षक निकाय, अर्जन के अधीन भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रतिकर का भुगतान भूमिस्वामी को करने के पश्चात्, अर्जन के प्रयोजन के अनुसार वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।

5–ख. किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना/योजना के लिए, आबंटिती विभाग/निकाय/संस्था, आबंटित भूमि पर अवस्थित वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम नामदेव एक्का, सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2023

NOTIFICATION

No. R-363/2023/7-1. – In exercise of the powers conferred by Section 258 read with Section 240 and 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Rules of Felling of Trees, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 5, the following rule shall be added, namely : -

"5-A. In case of acquisition of land or acquiring the right to use the land for any government or semi-government project, the requiring body, after paying the compensation of the trees situated on the land under acquisition to the land-owner may cut the trees or may get the trees cut by the Forest Department in the minimum necessary number as per the purpose of acquisition, by giving intimation to the Sub-Divisional Officer (Revenue).

5-B. For any government or semi-government project /scheme, the allottee department/body/ institution may cut the trees situated on the allotted land or may get the trees cut by the Forest Department in the minimum necessary number, by giving intimation to the Sub-Divisional Officer (Revenue)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM NAMDEO EKKA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.